उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 131/2019/2376/92-2-19-113जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पीआईयू0-गोण्डा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 की निविदा प्रक्रिया में निविदादाता मै0 पी0एस0बी0 कान्स0 की निविदा को अनियमित ढंग से रिस्पांसिव घोषित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-59/2018/1408/92-2-18-113जांच/2017 दि0 14.06.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-गोण्डा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-650/ ग्रा0अ0वि0 /अनु0जांच/परवेज अली खां/एस0टी0/18-19 दिनांक 26-10-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) की जांच आख्या दिनांक 26-10-2018 में अपचारी अधिकारी, श्री परवेज अली खां पर अधिरोपित कुल 02 आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत शासन के पत्रसं0-2847/92-2-18-113जांच/17 दिनांक 04-12-2018 द्वारा उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 19-01-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री परवेज अली खां पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 सम्पर्क मार्ग गोण्डा उतरौला मार्ग से पारासराय

पैकेज सं0-3080 की टेक्निकल बिड में तथ्यों की अनदेखी कर त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करते हुये अनियमित ढंग से मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 को निविदा हेतुरिस्पॉसिब घोषित किया गया। उक्त के उपरान्त मै0 राज कान्स0 द्वारा शिकायत की गयी, लेकिन सत्यता को छिपाते हुये टेण्डर को अपलोडिंग करने की अनुमति प्राप्त की गयी, जिससे शासकीय क्षति की संभावना प्रबल बनी। आपके द्वारा मे0 पी0एस0पी0 कान्स0 के पक्ष में उक्त अनुबंध गठित किये जाने की जानकारी अर्थात आनगोइंग कार्यो के संबंध में सूचना पूर्व से थी, किन्तु चेक लिस्ट में गलत सूचना दी गयी, दुरभि संधि का परिचायक है, और ठेकेदार को अनियमित ढंग से लाभ देने की कोशिश की गयी, जिसके लिये श्री परवेत अली खां को आरोपित किया किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

पैकेज सं0-3080 की तकनीकी मूल्यांकन भली भांति जांच परख कर किया गया था। ठेकेदार मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की बिड कैपिसिटी मु0 रू0 9571.04 लाख है। मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 का जनपद गोण्डा में तत्समय पैकेज सं0-3081 लागत रू0 389.71 एवं पैकेज सं0-3082 लागत रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

360.48 लाख अर्थात कुल लागत 750.19 लाख के 2 कार्य चल रहे थे। इन दोनो कार्यो की लागत बिड कैपिसिटी से घटा दिया जाय तब भी ठेकेदार की बिड कैपेसिटी पैकेज सं0-3080 के लिये जो चाही गयी थी उससे कही अधिक थी। एस0बी0डी0 के आई0टी0बी0 के क्लॉथ 22.6 के अनुसार The result of evaluation of part-I of the bids shall be made public on e-procurement system following which there will be a period of five woking days during which any bidder may submit complain which shall be considered for resolution before opening part-II of he bid.

निविदादाता द्वारा 05 दिवस के अंदर की गयी शिकायत का जबाव दिया जाना होता है। शिकायतकर्ता मै0 राज कान्स0 द्वारा पैकेज सं0-यूपी-3080 के लिये निविदा नही डाली गयी थी। यूपीआरआरडीए से पीएमजीएसवाई के बैच-2 के कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराने के बार-बार निर्देश जाने के कारण, कार्यहित में मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की निविदा रिस्पॉसिव घोषित की गयी थी। निविदा बार-बार निरस्त होने के कारण चतुर्थ कॉल में स्वीकार हुई थी, जिसमें एल0-1 ठेकेदार द्वारा 6.37 प्रतिशत अधिक दर पर निविदा प्राप्त की गयी, जिससे शासकीय क्षति हुई। यदि ठेकेदार मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की निविदा को उसी समय स्वीकार किया गया होता तो संभवत: इतनी शासकीय क्षति न होती और समय भी बचता। निविदा पर अंकित निर्णय टेक्नीकल कमेटी को ही लेना था, जिसके लिये वह उत्तरदायी नही है।

पेकेज सं0-यूपी-3080 की निविदा में मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 जिनकी बिड कैपेसिटी 9571.04लाख काफी अधिक थी। ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा में ऑनगोइंग कार्य नही दर्शाये गये थे अत्याधिक बिड कैपिसिटी के कारण उस ओर ध्यान नही दिया गया। यदि ऑनगोइंग कार्य को सम्मिलित कर लिया जाय तो भी निविदा के रिस्पांसिव होने में कोई विपरीत प्रभाव नही पडता।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की बिड कैपेसिटी को आंकलित किया गया था तथा व्यक्तिगत सुनवाई के समय भी अपचारी अधिकारी द्वारा भी इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि मै0 पी0एस0पी0 कानस0 की बिड कैपेसिटी अत्याधिक(9571.04 लाख) होने के कारण ही मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 द्वारा पीआइयू0-गोण्डा के अंतर्गत कराये जा रहे कार्य जिसकी कुल लागत रू0 750.19 लाख थी की तरफ ध्यान नही दिया गया, जिसके कारण चेक लिस्ट में उक्त बिन्दु का उल्लेख न करने की त्रुटि उनके स्तर पर हुई। निविदा तृतीय काल में आमंत्रित थी एवं कार्य पूर्ण किये जाने का दबाव भी था तथा मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की अत्याधिक बिड कैपेसिटी को देखते हुये उनके स्तर से ऑन गोइंग कार्यो की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका एवं ठेकेदार की अत्याधिक बिड कैपेसिटी को ध्यान में रखकर निविदा रिस्पांसिव करने की संस्तुति की गयी। अपचारी अधिकारी का उपरोक्त कथन यद्यपि इस सीमा तक स्वीकार योग्य है कि ठेकेदार की बिड कैपिसिटी निविदा की आवश्यकता से काफी अधिक थी तथा ठेकेदार के खण्ड के अतिरिक्त 750.19 लाख के ऑन गोइंग कार्य को संज्ञान में लेने के बाद भी उक्त बिन्दु पर निविदा रिस्पांसिव नही होती। परन्तु अभिलेखों का भली भांति परीक्षण नही किये जाने के कारण अपचारी अधिकारी के स्तर पर चेक लिस्ट तैयार करने में त्रुटि हुई जिसका कोई संतोषजनक उत्तर अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में नहीं दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधारपर दुरभि संधिका आरोप अपचारी अधिकारी पर स्थापित नहीं होता है, परन्तु चेक लिस्ट तैयार करने में लापरवाही प्रतीत हुई।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये बचाव उत्तर एवं विवेचना में इंगित स्थिति के अनुरूप उक्त आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

चेक लिस्ट तैयार करने में लापरवाही प्रतीत होने के क्रम में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि निविदा का कई बार प्रकाशन के उपरांत तृतीय कॉल में कार्यहित शासकीय हित में कार्य को समय से पूर्ण कराने के उददेश्य से तकनीकी मूल्यांकन हेतु चैक लिस्ट तैयार की गयी थी, जिसमें प्रखण्ड-गोण्डा के ऑनगोइंग कार्यो की लागत (750.19 लाख) को अत्याधिक बिड कैपेसिटी (9571.04) से कम नही किया जा सका था, जिसे यदि कम किया जाता तब भी मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की बिड कैपेसिटी संबंधित निविदा के रिस्पांसिव होने के लिये पर्याप्त थी। अत: लापरवाही का आरोप स्वीकार नही है।

आरोप संख्या-2

पैकेज सं0-3080 के संबंध में दूरभाष पर पी0एस0पी0 कान्स0 के संबंध में अधिशासी अभियंता पीआईयू0-बस्ती से सही जानकारी प्राप्त की जा सकती थी, किन्तु जानकारी प्राप्त करने का सार्थक प्रयास नही की गयी, और न ही पुष्टि हेतु पत्र ही लिखा गया, मात्र अधिशासी अभियंता,पीआईयू0-गोण्डा के एक पत्र के आधार पर अपने कर्तव्यों को इतिश्री मान लिया गया, जिसके लिये श्री परवेज अली खां को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप अस्वीकार करते हुये अवगत कराया गया है कि उनके पत्र दिनांक 23.08.2017 के माध्यम से पीआईयू0-बलरामपुर एवं पत्र दि0 23.08.2017 के माध्यम से पीआईयू0-बस्ती में मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 के ऑनगोइंग कार्यो की सूचना मांगी गयी थी, जिसमें कोई प्रतिउत्तर न आने पर टेक्नीकल कमेटी द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया था। उक्त कमेटी में वे सदस्य नही थे। मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की बिड कैपेसिटी (रू0 9571.04 लाख) अत्याधिकहोने के कारण और अधिक पत्राचार न कर निविदा को रिस्पांसिव घोषित किया गया, जिसमें किसी प्रकार की शासकीय क्षति नही हुई है। बाद में मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 को यह कार्य आवंटित भी नही हुआ।

जांच अधिकारी की विवेचना

अपचारी अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा पीआईयू0-बस्ती एवं पीआईयू0-बलरामपुर से पत्र के माध्यम से मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 द्वारा कराये जा रहे कार्यो की जानकारी मांगी गयी थी तथा यह भी उल्लेख किया गया कि मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 की बिड कैपिसिटी काफी अधिक (9571.04लाख) होने के कारण अपचारी अधिकारी के स्तर पर निविदा को रिस्पांसिव किये जाने की संस्तुति की गयी। यद्यपि अंत में उक्त कार्य मेसर्स पी0एस0पी0 कान्स0 को आवंटित नहीं हुये, अपचारी अधिकारी के इस कथन की पुष्टि होती है कि उनके द्वारा पीआईयू-बस्ती एवं पीआईयू-बलरामपुर से सूचना मांगी गयी थी, परन्तु व्यक्तिगत प्रयास अर्थात दूरभाष पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था, अन्ततः उक्त कार्य मेसर्स पी0एस0पी0 कान्स0 को आवंटित भी नहीं हुआ।

जांच अधिकारी का निष्कर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये बचाव उत्तर एवं विवेचना में इंगित स्थिति के अनुरूप उक्त आरोप अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

जांच अधिकारी की विवेचना के आधार पर व्यक्तिगत प्रयास अर्थात दूरभाष पर जानकारी करने का प्रयास नही किया गया, के संबंध में अपचारी द्वारा अवगत कराया गया है कि बलराम पुर एवं बस्ती जनपद से पत्र लिखकर जानकारी चाही गयी थी, दोनो प्रखण्डों से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ इसी बीच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा शिकायत का उत्तर यूपीआरआरडीए को प्रेषित कर दिया गया। तकनीकी मूल्यांकन समिति में वह सदस्य नही थे। अत: सार्थक प्रयास न करने का आरोप न तो उन पर स्थापित होता है एवं ना ही उन्हे स्वीकार है, चूंकि निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार तकनीकी मूल्यांकन समिति को ही था।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 सम्पर्क मार्ग गोण्डा उतरौला मार्ग से पारा सराय की निविदा प्रक्रिया में मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 को बिड कैपेसिटी (रू0 9571.04 लाख) को अधिक पाते हुये उनके ऑन गोइंग कार्यो के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास न किये जाने की अनियमितता हेतु उत्तरदायी है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-गोण्डा के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.11.2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

" जनपद गोण्डा में पीएमजीएसवाई योजनान्तर्गत पैकेज सं0-यूपी-3080 सम्पर्क मार्ग गोण्डा उतरौला मार्ग से पारा सराय की निविदा प्रक्रिया में निविदादाता मै0 पी0एस0पी0 कान्स0 के ऑनगोइंग कार्यो की बिना जानकारी लिये ही चेक लिस्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने की अनियमितता हेतु श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा को वर्ष 2019-20 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-131/2019/2376/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री परवेज अली खां, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-गोण्डा सम्प्रति प्रखण्ड-एटा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।